सेवा में / To,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
National Stock Exchange of India Ltd.
एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक जी,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा पूर्व
Bandra Kurla Complex Bandra, East,
मुंबई, महाराष्ट्र - 400051
Mumbai, Maharashtra- 400051
प्रतीक / Symbol: BEL
सं.No. 17565/6/SE/NSEC/SEC

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
पंजीकृत कार्यालय :
आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045, भारत
Bharat Electronics Limited
(Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)
Registered Office : Outer Ring Road,
Nagavara, Bangalore - 560 045, INDIA.
CIN : L32309KA1954GOI000787
टेलीफैक्स/Telefax : +91 (80) 25039266
ई-मेल/E-mail : secretary@bel.co.in
वेब/Web : www.bel-india.in

सेवा में / To,
बी.एस.ई. लिमिटेड BSE Limited
पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट
P J Towers, Dalal Street,
मुंबई- 400001, महाराष्ट्र
Mumbai- 400001, Maharashtra.
स्क्रिप कोड/Scrip Code: 500049
सं .No. 17565/4/SE/MUMC/SEC
स्क्रिप कोड/Scrip Code: 500049

दिनांक / Date: 18.08.2026

महोदय / महोदया,
Dear Sir/Madam,

विषय - 28 अगस्त 2026 को होने वाली कंपनी की 72वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट।
Sub: Addendum to the Notice of the 72nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 28 August 2026.

वित्तीय वर्ष 2025-26 की 72वीं वार्षिक आम बैठक (ए. जी. एम.) की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में, हमारे पत्र सं. 17565/4/SE/MUMC/SEC और 17565/6/SE/NSEC/SEC दिनांक 5 अगस्त 2026 के तारतम्य में, हम आपको सूचित करते हैं कि 72वीं एजीएम की सूचना जारी करने के बाद, कंपनी को कंपनी के निदेशकों के रूप में श्री अम्बरीश त्रिपाठी (डीआईएन- 11888363) और श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-

11888162) की नियुक्ति के लिए सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

In continuation of our letter no. 17565/4/SE/MUMC/SEC and 17565/6/SE/NSEC/SEC dated 5 August 2026, regarding the Notice of the 72nd Annual General Meeting (AGM) and Integrated Annual Report for the financial year 2025-26, we would like to inform you that subsequent to the issuance of the 72nd AGM Notice, the Company has received notices in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Members proposing the candidature of Mr. Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) and Mr. Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) for appointment as Directors of the Company.

तदनुसार, श्री अम्बरीश त्रिपाठी (डीआईएन-11888363) और श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162) की कंपनी के निदेशकों के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव 72वीं एजीएम में क्रमशः मद सं. 7 और 8 के रूप में, सामान्य संकल्प स्वरूप, विशेष कार्य के तहत सदस्यों के समक्ष रखे जा रहे हैं।

Accordingly, the proposals for the appointment of Mr. Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) and Mr. Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) as Directors of the Company are being placed before the Members at the 72nd AGM as part of the Special Business, in the form of Ordinary Resolution(s) as Item Nos. 7 and 8, respectively.

उपरोक्त संदर्भ में, हम एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवपण और सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व एवं प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के तहत अतिरिक्त प्रकटनों के साथ-साथ विशेष कार्य के तहत मद सं. 7 और 8 को शामिल करते हुए 72वीं एजीएम की सूचना में एक परिशिष्ट संलग्न कर रहे हैं।

In the above context, we are enclosing herewith an Addendum to the Notice of the 72nd AGM, incorporating Item Nos. 7 and 8 under Special Business, along with the Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 and additional disclosures under Regulation 36(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

यह परिशिष्ट दिनांक 04 अगस्त 2026 की 72वीं एजीएम की मूल सूचना का अभिन्न अंग होगा। प्रस्तावित संकल्प दूरस्थ ई-मतदान सुविधा में भी शामिल किए जाएंगे जो सोमवार, 24 अगस्त 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) के साथ-साथ एजीएम में ई-मतदान के दौरान समाप्त होगी।

The Addendum shall form an integral part of the original Notice of the 72nd AGM dated 04 August 2026. The proposed resolutions will also be included in the remote e-voting facility

which commences on Monday, 24 August 2026 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, 27 August 2026 at 5:00 P.M. (IST) as well as during e-voting at the AGM.

एमसीए और सेबी द्वारा जारी कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन में, 72वें एजीएम की सूचना का अनुलग्नक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी द्वारा उन शेयरधारकों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते का पंजीकरण नहीं कराया है, वेब-लिंक प्रदान करते हुए सूचना भेजी जाएगी, जिसमें 72वें एजीएम की सूचना का अनुलग्नक उपलब्ध होने का सटीक पथ भी शामिल होगा।

In compliance with applicable laws and circulars issued by the MCA and SEBI, the Addendum to the Notice of the 72nd AGM is being sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Communication will be sent by the Company providing the web-link, including the exact path where the Addendum to the Notice of the 72nd AGM is available, to those shareholders who have not registered their e-mail addresses.

एजीएम की सूचना का परिशिष्ट कंपनी की वेबसाइट (www.bel-india.in) पर भी उपलब्ध है।

The Addendum to the AGM Notice is also available on the Company's website (www.bel-india.in).

सूचना और अभिलेख के लिए प्रस्तुत।

Submitted for your kind information and record.

सधन्यवाद / Thanking you,

भवदीय/Yours faithfully,

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

For Bharat Electronics Limited

SREENIVAS SRIPADA
Digitally signed by SREENIVAS SRIPADA
Date: 2026.08.18 20:07:51 +05'30'

एस श्रीनिवास / **S Sreenivas**

कंपनी सचिव / **Company Secretary**

संलग्न - यथा उपरोक्त

Encls: As stated above.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
सीआईएन / CIN : L32309KA1954GOI000787
पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

72वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट
Addendum to Notice of the 72nd Annual General Meeting

शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) आयोजित होने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 72वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना का परिशिष्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 13, यथा संशोधित, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में पढ़ा जाना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत दिनांक 13 अगस्त 2026 का नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंपनी के निदेशक पर पर नियुक्ति हेतु श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363) और श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162) की अभ्यर्थिता का प्रस्ताव करते हुए सदस्यों का आशय बताया गया है।

तदनुसार, सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियम 17 (1सी) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों के रूप में श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363) और श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162) की नियुक्ति से संबंधित विशेष कार्य संबंधी मदें शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य दृश्य साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित होने वाली कंपनी की आगामी 72वीं एजीएम में सदस्यों के समक्ष रखी जाएँगी।

चूंकि 4 अगस्त 2026 को 72वीं एजीएम की सूचना जारी करने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 160 के अनुसरण में सदस्यों से 5 अगस्त 2026 को सूचना प्राप्त हुई थी, इसलिए 72वीं एजीएम की सूचना का परिशिष्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित किया जा रहा है जिन्हें 72वीं एजीएम की सूचना भेजी गई थी। इस परिशिष्ट को अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक

Addendum to the Notice of the 72nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited to be held on Friday, 28 August 2026 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

Pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013, read with Rule 13 of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014, as amended, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Notice is hereby given to the Members of Bharat Electronics Limited ("the Company") that the Company has received Notices dated 13 August 2026 from the Members under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying their intention to propose the candidature of Mr. Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) and Mr. Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) for appointment to the office of Director(s) of the Company.

Accordingly, pursuant to the provisions of Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the items of special business relating to appointment of Mr Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) and Mr Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) as Directors of the Company are placed before the Members at the 72nd AGM of the Company scheduled to be held on Friday, 28 August 2026 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

As the Notices from Members pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 (the "Act") was received subsequent to the issuance of the Notice of the 72nd AGM dated 4 August 2026 to the Members on 5 August 2026, an Addendum to the Notice of the 72nd AGM is being circulated electronically to the Members to whom the Notice of the 72nd AGM was sent. The Addendum is also being made available on the website of the Company and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, in terms of the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and

एक्सचेंज की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। यह परिशिष्ट दिनांक 5 अगस्त 2026 की 72वीं एजीएम की मूल सूचना का अभिन्न अंग माना जाएगा।

कंपनी के निदेशकों के रूप में श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन - 11888363) और श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन - 11888162) की नियुक्ति से संबंधित उक्त प्रस्ताव दूरस्थ ई-मतदान सुविधा में, जो सोमवार, 24 अगस्त 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगा, दोनों दिन मिलाकर, और एजीएम के दौरान ई-मतदान सुविधा भी शामिल होंगे।

श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363) और श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162) की कंपनी के निदेशकों के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति पर विशेष कार्य के तहत 72वीं एजीएम में सदस्यों द्वारा सामान्य संकल्प, क्रमशः मद सं. 7 और 8 के रूप में द्वारा नीचे दिए गए अनुसार विचार किया जाएगा-

विशेष कार्य -

7. **श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363) की निदेशक के रूप में नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

   ''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों (संवैधानिक संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के अनुसार, श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/1/2025-डी (बीईएल) दिनांक 12 अगस्त 2026 द्वारा भारत सरकार द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और दिनांक 13 अगस्त 2026 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत अपेक्षित राशि जमा करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363) को कंपनी के निदेशक पद के अभ्यर्थी के नाम का प्रस्ताव करने का आशय व्यक्त किया है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए एवं एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

8. **श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162) की निदेशक के रूप में नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"). This Addendum shall be deemed to form an integral part of the original Notice of the 72nd AGM dated 5 August 2026.

The aforesaid proposals for appointment of Mr Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) and Mr Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) as Directors of the Company would be included for voting through the remote e-voting facility, which will commence on Monday, 24 August 2026 at 9:00 A.M. (IST) and end on Thursday, 27 August 2026 at 5:00 P.M. (IST), both days inclusive and also for e-voting during the AGM.

The proposed appointment of Mr. Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) and Mr. Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) as Directors of the Company will be taken up for consideration by the Members at the 72nd AGM as part of the Special Business, by way of Ordinary Resolutions, as Item Nos. 7 and 8, respectively, as set forth below:

SPECIAL BUSINESS:

7. **Appointment of Mr Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) as Director.**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Ambrish Tripathi (DIN: 11888363), who was appointed as Director (HR) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/1/2025-D(BEL) dated 12 August 2026 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (HR) w.e.f 13 August 2026 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying the intention to propose Mr Ambrish Tripathi (DIN: 11888363) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

8. **Appointment of Mr Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) as Director.**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

''**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों (संवैधानिक संशोधन या उसका पुन: अधिनियमन जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के अनुसार, श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2025-डी (बीईएल) दिनांक 12 अगस्त 2026 द्वारा भारत सरकार द्वारा निदेशक (विपणन) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और दिनांक 13 अगस्त 2026 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत अपेक्षित राशि जमा करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162) को कंपनी के निदेशक पद के अभ्यर्थी के नाम का प्रस्ताव करने का आशय व्यक्त किया है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए एवं एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 7 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/1/2025-डी (बीईएल) दिनांक 12 अगस्त 2026 के माध्यम से श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363) को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार, निदेशक मंडल ने श्री अम्बरीष त्रिपाठी को इस आम बैठक की तारीख तक पद संभालने के लिए दिनांक 13 अगस्त 2026 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी को एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कंपनी के निदेशक के रूप में श्री अम्बरीष त्रिपाठी की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री अम्बरीष त्रिपाठी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164,196 (3) के प्रावधानों के तहत जिसे सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं।

इस बैठक की सूचना के मद सं. 7 में दिए गए संकल्प में, श्री अम्बरीष त्रिपाठी को छोड़कर, कंपनी के कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधक कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा, किसी भी तरह संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162), who was appointed as Director (Marketing) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/2/2025-D(BEL) dated 12 August 2026 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Marketing) w.e.f 13 August 2026 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying the intention to propose Mr Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.7:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/1/2025-D(BEL) dated 12 August 2026, appointed Mr Ambrish Tripathi (DIN: 11888363), as Director (HR) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Ambrish Tripathi as an Additional Director w.e.f 13 August 2026, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Ambrish Tripathi as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Mr Ambrish Tripathi is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Ambrish Tripathi, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.7 of the notice of this meeting.

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 7 में दिए गए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 8:

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2025-डी (बीईएल) दिनांक 12 अगस्त 2026 के माध्यम से श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162) को उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (विपणन) के पद पर नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार, निदेशक मंडल ने श्री अनूप कुमार राय को इस आम बैठक की तारीख तक पद संभालने के लिए दिनांक 13 अगस्त 2026 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी को एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कंपनी के निदेशक के रूप में श्री अनूप कुमार राय की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री अनूप कुमार राय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164,196 (3) के प्रावधानों के तहत जिन्हें सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं हैं।

इस बैठक की सूचना के मद सं. 8 में दिए गए संकल्प में, श्री अनूप कुमार राय को छोड़कर, कंपनी के कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधक कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा, किसी भी तरह संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम की सूचना की मद सं. 8 में दिए गए सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है।

सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और आम बैठक (एसएस-2) के सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 में बताई गई आवश्यकता अनुसार, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए निदेशकों की अतिरिक्त सूचना-

मद सं. 7 के संबंध में -

नियुक्ति

नाम और डीआईएन	श्री अम्बरीष त्रिपाठी (डीआईएन-11888363)
जन्म तिथि	2 दिसंबर 1968.
मंडल में पहली नियुक्ति की तारीख	13 अगस्त 2026.
शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरी स्नातक (मैकेनिकल), एमबीए, पीएमआई, यूएसए से पीएमपी प्रमाण-पत्र, आईआईटी दिल्ली से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रमाण-पत्र और सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट प्रमाण-पत्र।

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.7 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

In respect of item No.8:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/2/2025-D(BEL) dated 12 August 2026, appointed Mr Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162), as Director (Marketing) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Anoop Kumar Rai as an Additional Director w.e.f 13 August 2026, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Anoop Kumar Rai as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Mr Anoop Kumar Rai is not disqualified from being appointed as a Director under provisions of Section 164, 196 (3) of the Companies Act, 2013 and read with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Anoop Kumar Rai, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.8 of the notice of this meeting.

The Board recommends the ordinary resolution set out at the Item No.8 of the Notice of AGM for approval by the Members of the Company.

Additional information of Directors recommended for appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2).

In respect of item No.7:

Appointment:

Name and DIN	Mr Ambrish Tripathi (DIN: 11888363).
Date of Birth	2 December 1968.
Date of first Appointment on the Board	13 August 2026.
Qualification	Bachelor of Engineering (Mechanical), MBA, a PMP certification from PMI, USA, a Supply Chain Management Certificate from IIT Delhi, and a Six Sigma Green Belt certification.

विशिष्ट कार्य क्षेत्र में प्राप्त विशेषज्ञता	**श्री अम्बरीष त्रिपाठी** ने कोटद्वार यूनिट के महाप्रबंधक के रूप में कार्य करने के बाद अगस्त 2026 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (मानव संसाधन) का पदभार ग्रहण किया। वे इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) स्नातक, एमबीए, पीएमआई, अमेरिका से पीएमपी प्रमाण-पत्र, आईआईटी दिल्ली से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रमाण-पत्र और सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट प्रमाण-पत्र धारक है। अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, सामग्री प्रबंधन, विपणन, सूचना प्रणाली और यूनिट लीडरशिप में फैले 33 वर्षों के करियर के दौरान, उन्होंने उद्यम-व्यापी एसएपी कार्यान्वयन सहित प्रमुख डिजिटल परिवर्तन पहलों को आगे बढ़ाया, 15,000 + पीसी को वर्चुअल डेस्कटॉप अवसंरचना से प्रतिस्थापित किया, एक औद्योगिक एसओसी की स्थापना की और आईटी-संचालित भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय का पुरस्कार अर्जित किया। महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने कोटद्वार यूनिट का आधुनिकीकरण किया और पहली बार इसका कुल कारोबार 1,000 करोड़ रुपये तक पहुँचाया और प्लेटिनम व्यवसाय उत्कृष्टता प्रत्यायन प्राप्त किया। उनके पास कॉर्पोरेट नेतृत्व, यूनिट संचालन और आधुनिकीकरण, कॉर्पोरेट सूचना प्रणाली, उद्यम डिजिटल परिवर्तन (एसएपी, वीडीआई, फाइल लाइफसाइकिल प्रबंधन), आपूर्ति श्रृंखला और सामग्री प्रबंधन, और सूचना सुरक्षा में 33 से अधिक वर्षों की गहन विशेषज्ञता है।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/1/2025-डी (बीईएल) दिनांक 12 अगस्त 2026 में निर्दिष्ट अनुसार।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटन	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक पद	शून्य
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अध्यक्षता / सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध स्वत्व जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से त्यागपत्र दिया है	शून्य

Expertise in specific function area	**Shri Ambrish Tripathi** assumed charge as Director (Human Resources) of Bharat Electronics Limited (BEL) in August 2026, after serving as General Manager of the Kotdwar Unit. He holds a Bachelor of Engineering (Mechanical), MBA, a PMP certification from PMI, USA, a Supply Chain Management Certificate from IIT Delhi, and a Six Sigma Green Belt certification. Over a 33-year career spanning in R&D, Production, Material Management, Marketing, Information Systems, and Unit Leadership, he drove major digital transformation initiatives, including enterprise-wide SAP implementation, replacing 15,000+ PCs with Virtual Desktop Infrastructure, establishing an industrial SOC, and earning the Home Ministry Award for IT-driven corruption prevention. As GM, he modernized the Kotdwar Unit, driving its turnover past ₹1,000 crore for the first time and achieving Platinum Business Excellence accreditation. He possesses over 33 years of deep expertise in Corporate Leadership, Unit Operations & Modernization, Corporate Information Systems, Enterprise Digital Transformation (SAP, VDI, File Lifecycle Management), Supply Chain & Material Management, and Information Security.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/1/2025-D(BEL) dated 12 August 2026.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.

कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
लाभकारी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	3,789.
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वे कंपनी के निदेशक नहीं थे, तदनुसार, उक्त अवधि के लिए रिपोर्ट करने योग्य कोई उपस्थिति नहीं है।

मद सं. 8 के संबंध में -

नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री अनूप कुमार राय (डीआईएन-11888162)
जन्म तिथि	27 सितंबर 1968.
मंडल में पहली नियुक्ति की तारीख	13 अगस्त 2026.
शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार) स्नातक और इंजीनियरिंग (डिजिटल सिस्टम) में स्नातकोत्तर
विशिष्ट कार्य क्षेत्र में प्राप्त विशेषज्ञता	श्री अनूप कुमार राय ने कार्यपालक निदेशक (सीआरएल-गाजियाबाद) के पद में सेवारत होने के बाद 13 अगस्त 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (विपणन) का पदभार ग्रहण किया। वे इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार) और इंजीनियरिंग (डिजिटल सिस्टम) में स्नातकोत्तर हैं। रक्षा और उत्कृष्ठ प्रौद्योगिकियों में 33 वर्षों के अनुभव के साथ, उन्होंने एआई-संचालित प्रणालियों (ठसक्षमठ), सी4आई2एसआर एकीकरण (आईएसीसीएस, संजय, आकाशर), कवच 4.0 और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन जैसे नागरी समाधानों सहित प्रमुख स्वदेशी नवाचारों को संचालित किया है। उनके नेतृत्व में, सीआरएल ने सीएमएमआई स्तर 5 और एसआईएल 2 प्रमाणीकरण प्राप्त किया। उन्होंने रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और नौसेना प्रमुख द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्राप्त किया है। उन्हें रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी, सी4आई2एसआर सिस्टम, एआई-संचालित स्वायत्त युद्ध, रणनीतिक वायु रक्षा एकीकरण, नागरिक अवसंरचना टेक (रेलवे और मेट्रो), रक्षा निर्यात और अनुसंधान एवं विकास नेतृत्व में गहन विशेषज्ञता प्राप्त है।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2025-डी (बीईएल) दिनांक 12 अगस्त 2026 में निर्दिष्ट अनुसार।

No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	3,789.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2025-26.	He was not a Director of the Company during FY 2025-26 and, accordingly, there is no attendance to report for the said period.

In respect of item No.8:

Appointment:

Name and DIN	Mr Anoop Kumar Rai (DIN: 11888162).
Date of Birth	27 September 1968.
Date of first Appointment on the Board	13 August 2026.
Qualification	Bachelor of Engineering (Electronics & Telecommunication) and Master of Engineering (Digital Systems).
Expertise in specific function area	Shri Anoop Kumar Rai assumed charge as Director (Marketing) of Bharat Electronics Limited (BEL) on 13 August 2026, after serving as Executive Director (CRL-Ghaziabad). He holds a Bachelor of Engineering (Electronics & Telecommunication) and Master of Engineering (Digital Systems). With 33 years of experience in defence and niche technologies, he has driven key indigenous innovations including AI-powered systems ("Saksham"), C4I2SR integrations (IACCS, Sanjay, Akashteer), civilian solutions like KAVACH 4.0 and Air Traffic Management Automation. Under his leadership, CRL achieved CMMI Level 5 and SIL2 certifications. He is a recipient of the Raksha Mantri's Excellence Award and Chief of Naval Staff Commendation. He possesses deep expertise in Defence & Niche Technologies, C4I2SR Systems, AI-driven Autonomous warfare, Strategic Air Defense Integration, Civilian Infrastructure Tech (Railways & Metro), defence exports, and R&D Leadership.
Terms and conditions of appointment	As stipulated in the Ministry of Defence, Government of India letter no. DDP-E0032/2/2025-D(BEL) dated 12 August 2026.

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटन	कुछ नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में आयोजित निदेशक पद	शून्य.
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता / सदस्यता	शून्य
सूचीबद्ध स्वत्व जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से त्यागपत्र दिया है।	शून्य
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
लाभकारी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित मंडल की बैठकों में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वे कंपनी के निदेशक नहीं थे, तदनुसार, उक्त अवधि के लिए रिपोर्ट करने योग्य कोई उपस्थिति नहीं है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

वेंगलूरु
18 अगस्त, 2026

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2025-26.	He was not a Director of the Company during FY 2025-26 and, accordingly, there is no attendance to report for the said period.

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
18 August 2026

S Sreenivas
Company Secretary